6-1/2019-सा.अनु.

संख्या/No.

भारत सरकार
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

फोन/Ph. : 011-26105211
011-20867170
011-20867172
वेबसाइट/Website : www.cstt.education.gov.in
www.csttpublication.mhrd.gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
COMMISSION FOR SCIENTIFIC & TECHNICAL TECHNOLOGY
Ministry of Education
Department of Higher Education

पश्चिमी खंड VII, रामकृष्ण पुरम, सैक्टर-1
West Block VII, R. K. Puram, Sector-1
नई दिल्ली/New Delhi-110066

दिनांक 7.4.2021

सेवा में,

विषयः- ग्रीष्म ऋतु हेतु दिनांक 01.5.2021 से 30.09.2021 तक आयोग में लगे 13 डैजर्ट कूलरों, 13 वाल फैन तथा 06 फैन, पैडस्टल फैन की मरम्मत एवं रख-रखाव तथा उक्त अवधि के दौरान डैजर्ट कूलरों में पानी भरने हेतु ठेका देने हेतु निविदाएँ आमंत्रण के संबंध में।

महोदय,

आयोग दवारा 01.05.2021 से 30.09.2021 तक के लिए कार्यालय के 13 डैजर्ट कूलरों, 13 वाल फैन, तथा 06 पैडस्टल फैन की मरम्मत एवंरख-रखाव तथा उक्त अवधि के दौरान डैजर्ट कूलरों में पानी भरने का ठेका दिया जाना है।

(1) कार्य का विवरणः-

1 प्रारंभिक मरम्मत, तेलीकरण, पैड बदलना तथा सफाई।
2 कूलर की टंकियों में प्राईमर/पेंट करना (अन्दर तथा बाहर)।
3 कूलरों को चालू करने से पहले यदि कोई मरम्मत उनके पुर्जे बदले जाएगें तो उसका भुगतान अनुमोदित दरों के अनुसार किया जायेगा।
4 जहां भी आवश्यक हो ऊपरी-प्लग, तीन कोर तार लगाई जाएगी ,जिनका अलंग से कोई भुगतान देय नही होगा।
5 प्रतिदिन कूलरों में सुबह और दोपहर नियमित अंतरालसे पानी भरने के लिए व्यवस्था करनी होगी ताकि पानी की कमी के कारण कोई कूलर बंद न करने पडे ओर शिकयात न आने पाए। पानी भरने के लिए ठेकेदार द्वारा एक मजदूर रखने होगें। जिनकी मजदूरी आयोग द्वारा अलगसे की जाएगी। प्रति मजदूर की दिहाडी एक महीने की कितनी होगी लिखना होगा।
6 ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद सभी कूलर की सफाई करके चालू अवस्था में सुपुर्द करने होगे।
7 सभी डेजर्ट कूलरों में 15-15 दिन के अंतराल में पैट्रोल या मिट्टी का तेल आदि केमिकल डालना अनिवार्य होगा ताकि उनमें मच्छर पैदा न हों तथा सफाई का विशेष ध्यान देना फर्म की जिम्मेदारी होगी।इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
8 यदि कोई कूलर एक सप्ताह से अधिक किसी पुर्जे की मरम्मत या उसको बदलने की वजह से बंद रहेगा तो उस कूलर के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामले में मरम्मत एवं रख-रखाव का खर्च फर्म द्वारा भरा जाएगा।
9 अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रदद कर सकते हैं। अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(2) अन्य नियम और शर्ते

यह ठेका प्रारभिक तौर पर 01 मई 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक होगा बाद में संतोक्षजनक कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात अगले वर्ष दिनॉक 01-04-2022 से 30-9-2022 तक बढाया जा सकता है।

7/4/21

(3) **आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होग**

1 पेन कार्ड और GST सर्टिफिकेट की फोटो कापी

2 निविदाकर्ता के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित टैडर दस्तावेज ।

3 कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति

4 इनकम टैक्स रिर्टन की पिछले तीन वर्ष की फोटो कापी ।

5 सक्षम प्राधिकारी का नाम व पता संपर्क नम्बंर पद नाम आदि विवरण

- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में दिल्ली में स्थापित न्यायालय के द्वारा ही मुकदमे की सुनवाई होगी एवं उनका निर्णय बाध्यकारी होगा।

यदि उपर्युक्त शर्तो के अधीन आप ठेका लेने के इच्छुक हो तो कृपया अपनी निविदाएं अधोहस्ताक्षरी के पास सील बंद लिफाफे में **दिनांक 30.04.2021 को प्रात 10:00 बजे तक** अवश्य भेज दें। निविदाएं उसी दिन प्रातः 11:30 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जाएंगी।

कृपया नीचे दिए गई मदों के अनुसार अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में डाक के द्वारा अथवा दस्ती तौर पर भेजे। लिफाफे के ऊपर इस प्रकार से लिखेंडेजर्ट **<u>कूलरों,पैडस्टल फैन एवंवाल फैन की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए निविदा</u>**"

निम्नलिखित मदों की दरें भी मजदूरी सहित दी जा सकती है:-

1. डैजर्ट कूलर ,पैडस्टल फैन एवंवाल फैन के पंखा मोटर की रिवाइंडिग।
2. कूलर मोटर,पैडस्टल फैन एवंवाल फैन के बुशों/साफट को बदलना।
3. नया पम्प (मीनी) (ISI) मार्क।
4. नया पम्प / मोटर (ISI) मार्क।
5. नया कूलर पंखा मोटर (ISI) मार्क।
6. टेबल फैन /पैडस्टल फैन/वाल फैन/सिलिंग फैन की मरम्मत औरसर्विस।
7. टेबल फैन/पैडस्टल फैन/वाल फैन एवंसिलिंग फैन मोटर रिवाईडिग।
8. खिडकियों पर डैजर्ट कूलर फिट करना ओर लोहे कास्टैंड लगाना।
9. कैपेसिटर बदलना।
10. डैजर्ट कूलरों की फ्रन्ट ग्रिल बदलना।
11. कूलर मोटर के ब्लेड फेन को बदलना।
12. पानी की टंकी बदलना।
13. 20 गेजशीट के डैजर्ट कूलरों की पूरी बाडी बदलना।
14. प्लाई उपलब्ध कराना और उसे कूलर के साथ खिडकियों फिट करना।
15. डैजर्ट कूलरों के बाहरी तरफ से पेंट करना।
16. कूलर के परदों (खिडकियों) को बदलना।
17. ऑन-ऑफ स्वीच
18. कूलरों में पानी भरने के लिए एक मजदूर की मजदूरी।
19. ठेके की अवधि में डैजर्ट कूलरों ,/पैडस्टल फैन एवंवाल फैन / सीलिंग फैन) आदि प्रति मशीन के रख-रखाव एवं मरम्मत (सामान सहित एवं सामान रहित) पर होने वाले भुगतान राशि का ब्यौरा।

भुगतान की शर्तेः

1. पानी भरने का भुगतान प्रत्येक माह किया जाएगा और अंतिम भुगतान दिनांक 30.09.2021 तक के बाद किया जाएग।
2. प्रारंभिक मरम्मत पुर्जो के बदलने का भुगतान माह मई-जून, 2021 में किया जाएगा।
3. कूलरों को चालू करने से पूर्व प्रारंभिक मरम्मत के उपरांत ठेके की अवधि में किसी भी प्रकार मरम्मत / पुर्जो के लिए **कोई** भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. रख-रखाव कीराशि का 30% भुगतान माह जून, 2021 में तथा शेष 70% का बकाया भुगतान ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद, कार्य संतोषजनक होने पर किया जाएगा ।
5. यदि ठेके के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो **वै.त.श.आयोग** बिना कोई कारण बताए ठेका तुरन्त रद्द करसकता है।

श्रीमती प्रेमलता शर्मा - दूरभाष:20867180 Extn. 269

श्री सतबीर सिहँ - दूरभाष: 20867180 Extn. 269

भवदीय,

07/04/2021

(दीपक कुमार)
नियंत्रण अधिकारी

7/4/21 7/4/21